

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी—श्री रामदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कोर्ट केम्प नोख

क्रमांक रीडर/2023/

1071

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक -

09/07/23

1 दिनेश कुमार पुत्र किशनाराम 3 धापूदेवी पत्नी किशनाराम 3 मुकेश कुमार पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी पोकर भादू की ढाणी, खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 पन्नाराम 2 जेठाराम 3 जोधाराम 4 गंगदेव पिसरान हेमाराम 5 लुम्भाराम पुत्र अमराराम 6 लुम्भाराम पुत्र चुतराराम 7 फुसाराम पुत्र हेमाराम 8 रामाराम 9 लालाराम पिसरान हनुमानराम 10 तारी पत्नी हनुमानराम 11 मूलाराम पुत्र हनुमानराम 12 कल्लुदेवी पत्नी हनुमानराम 13 रुधाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी पोकर भादू की ढाणी, खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 119/2023

दिनांक- 22/05/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोकर भादू की ढाणी पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 372/30 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, खसरा संख्या 374/30 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 09/07/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1072-75
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दिनेश कुमार पुत्र किशनाराम वगैराह जाति जाट निवासी पोकर भादू की ढाणी, खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पन्नाराम पुत्र हेमाराम वगैराह जाति जाट निवासी पोकर भादू की ढाणी, खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर